

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

- 1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, 30प्र0 शासन।
- 2- समस्त विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त राजकीय एवं निजी प्रौद्योगिकी/प्रबन्धन/शोध एवं विकास संस्थान/संगठन/महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त उद्योग संघ, उत्तर प्रदेश।
- 5- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित उत्तर प्रदेश स्थित इन्क्यूबेटर्स।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 23 मई 2022

विषय: उत्तर प्रदेश स्टार्ट-अप नीति-2020 के बिन्दु 9.1(ii) इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-813/78-1-2020-25/2012, दिनांक 15 जुलाई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 अधिसूचित किए जाने के क्रम में उक्त नीति के बिन्दु-9.1 इन्क्यूबेटर्स हेतु प्रोत्साहन तथा बिन्दु-9.3 स्टार्ट-अप्स हेतु प्रोत्साहन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-11/2020/1129/78-1-2020-25/2012, दिनांक 18 अगस्त 2020 द्वारा दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति से सम्बन्धित उक्त नीति का प्रस्तर-9.1 (ii) निम्नवत् है:-

(ii) परिचालन व्यय

इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि अथवा स्व-निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, अधिकतम रु 30 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन उन इन्क्यूबेटर्स को दिया जायेगा जिनके पास 10 अथवा अधिक स्टार्टअप इन्क्यूबेटेड हैं। वर्ष-प्रति-वर्ष परिचालन व्यय सहायता की निरन्तरता, पूर्णतः इन्क्यूबेटर के कार्य-प्रदर्शन पर

निर्भर करेगी जिसका मूल्यांकन नोडल एजेन्सी द्वारा जारी और पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त सक्षम स्तर के अनुमोदन से नीति के अन्तर्गत उक्त व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किया जाता है:-

मूल व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(ii) परिचालन व्यय इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि अथवा स्व-निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, अधिकतम रु 30 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन उन इन्क्यूबेटर्स को दिया जायेगा जिनके पास 10 अथवा अधिक स्टार्टअप इन्क्यूबेटेड हैं। वर्ष-प्रति-वर्ष परिचालन व्यय सहायता की निरन्तरता, पूर्णतः इन्क्यूबेटर के कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगी जिसका मूल्यांकन नोडल एजेन्सी द्वारा जारी और पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा।	(ii) परिचालन व्यय इन्क्यूबेटर्स को परिचालन व्ययों की पूर्ति हेतु 05 वर्ष की अवधि अथवा स्व-निर्भर होने तक, जो भी पहले हो, अधिकतम रु 30 लाख प्रतिवर्ष तक की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी। यह प्रोत्साहन उन इन्क्यूबेटर्स को दिया जायेगा जिनके पास 02 अथवा अधिक स्टार्टअप इन्क्यूबेटेड हैं तथा उन्हें तदनुसार आनुपातिक रूप में परिचालन व्यय की अनुमन्यता होगी। वर्ष-प्रति-वर्ष परिचालन व्यय सहायता की निरन्तरता, पूर्णतः इन्क्यूबेटर के कार्य-प्रदर्शन पर निर्भर करेगी, जिसका मूल्यांकन नोडल एजेन्सी द्वारा जारी और पीएमआईसी द्वारा अनुमोदित इन्क्यूबेटर कार्य-प्रदर्शन मूल्यांकन फ्रेमवर्क के माध्यम से किया जायेगा।

3- अतः शासनादेश संख्या-11/2020/1129/78-1-2020-25/2012, दिनांक 18 अगस्त 2020 के प्रस्तर-2 में अंकित व्यवस्था को उपरोक्तानुसार उक्त सीमा तक संशोधित पढ़ा जाये। शासनादेश के अन्य प्राविधान, नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)

अपर मुख्य सचिव

संख्या-671(1)/78-1-2022 एवं तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
- 3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ०प्र० शासन।
- 9- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, श्रम, उ०प्र० शासन।
- 11- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन, उ०प्र० शासन।
- 12- प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 13- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आवास एवं नगरीय विकास विभाग को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि कृपया अपने अधीनस्थ, सभी विकास प्राधिकरणों एवं उ०प्र० आवास विकास परिषद को अपने स्तर से भी परिचालित करने का कष्ट करें।
- 14- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 15- समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
- 16- कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 17- औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 18- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, उ०प्र० शासन।
- 19- प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, यूपीडेस्को, अपट्रान पावरट्रानिक्स लि०, श्रीट्रान इण्डिया लि०, लखनऊ।
- 20- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव